विधान परिषद के प्रथम सत्र-2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
7 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वित्त विहीन विद्यालयों को कक्षा 1 में 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होता है एवं इन बच्चों के 11 महीने की फीस का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यालयों को किया जाता है?	जी हॉ।
(ख) क्या वर्ष 2019 से 2023 के मध्य ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फीस का भुगतान नहीं किया गया है?	वर्ष 2019 से 2023 के मध्य 26060 विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हो पाया।
(ग) यदि धनराशि बकाया है, तो वह स्कूलों को कब तक मिल जायेगी?	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक बजट के माध्यम से रूपये 177.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान कराकर अधिकांश जनपदों को फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में फीस प्रतिपूर्ति मद में रूपये 268.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है, जिसे अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात जनपदों को बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
(घ) उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उक्तवत्।

संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।